



क्रमांक :- 172 U

## राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-डुंगरपुर

दिनांक :- 3-2-16


## -आवश्यक सूचना-

## आवास आवंटन हेतु लॉटरी

राजस्थान आवासन मण्डल के सम्यति निस्तारण अधिनियम 1970 के विभिन्न प्राक्धानों के अर्न्तगत निम्नानुसार कार्यवाही सम्पन्न करते हुए पंजीकृत प्रतिभारत आवेदक जिन्होंने देय पूर्व ग्रहण राशि जमा करा दी है तथा आवास संख्या आवंटित होना शेष है को ही लॉटरी के माध्यम से आवास संख्या आवंटन किया जाना प्रस्तावित है।

आवंटन लॉटरी	योजना का नाम	आय वर्ग	योग्य/अयोग्य आवेदकों की पूर्णतया अस्थाई सूची का प्रदर्शन	अस्थाई सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	आक्षेप प्राप्ति के बाद योग्य आवेदकों की अंतिम स्थायी सूची का प्रदर्शन	लॉटरी की कार्यवाही (जिला आवंटन समिति की बैठक)
आवास आवंटन	शिवाजी नगर, डुंगरपुर पंजीकरण योजना-2014	अल्प आय वर्ग-23	12.02.2016 सायं 5.00 बजे (डुंगरपुर कार्यालय नोटिस बोर्ड पर)	18.02.2016 अपराह्न 3.00 बजे तक (डुंगरपुर कार्यालय में)	22.02.2016 सायं 4.00 बजे (डुंगरपुर कार्यालय नोटिस बोर्ड पर)	23.02.2016 अपराह्न 2.00 बजे (डुंगरपुर कार्यालय में)
		मध्यम आय वर्ग 'अ'-24				
	शिवाजी नगर, डुंगरपुर (बोर्डकर्मियोंयोजना)	उच्च आय वर्ग- 02				
आवासीय योजना परतापुर		आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग-55	12.02.2016 सायं 5.00 बजे (परतापुर उपखण्ड कार्यालय नोटिस बोर्ड पर)	18.02.2016 अपराह्न 3.00 बजे तक (परतापुर उपखण्ड कार्यालय में)	23.02.2016 सायं 4.00 बजे (परतापुर उपखण्ड कार्यालय नोटिस बोर्ड पर)	24.02.2016 अपराह्न 2.00 बजे (परतापुर उपखण्ड कार्यालय में)
		अल्प आय वर्ग-55				
		मध्यम आय वर्ग अ-25				

अतः उक्त योजनाओं के आवास आवंटन से सम्बन्धित समस्त आवेदक जिनको इस कार्यालय द्वारा पूर्व में ही आरक्षण पत्र जारी कर पूर्वग्रहण राशि (सीडमनी) जमा करने हेतु सूचित किया जा चुका है उन सभी आवेदकों को पुनः सूचित किया जाता है यदि आपने पूर्व ग्रहण राशि की किश्त जमा करा दी हो तो चालान की प्रति/अथवा नहीं जमा कराई हो तो उपरोक्त कार्यक्रम अनुसार अस्थाई सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व बकाया पूर्व ग्रहण राशि मय सेवाकर तथा ब्याज जमा कराकर चालान की प्रति सम्बन्धित कार्यालय में जमा करा दें। अन्यथा आवास आवंटन लॉटरी में शामिल होने से वंचित रहने पर राजस्थान आवासन मण्डल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उक्त कार्यवाही से सम्बन्धित व अन्य प्रकरणों हेतु जिला आवंटन समिति (राजस्थान आवासन मण्डल) के द्वारा लिये गये निर्णय अंतिम एवं मान्य होंगे। अन्य कोई भी सूचना के लिये आवासीय अभियंता डुंगरपुर कार्यालय में अथवा फोन नं. 02964-232288 पर सम्पर्क किया जा सकता है तथा मण्डल की वेबसाइट [www.rhbonline.rajasthan.gov.in](http://www.rhbonline.rajasthan.gov.in) पर भी देखी जा सकती है।

  
आवेदक अभियंता  
राजस्थान आवासन मण्डल  
खण्ड- डुंगरपुर